भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4965
(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के तहत कच्चे मकान की परिभाषा

4965. श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत 'कच्चे मकान' की परिभाषा को संशोधित करने का है, ताकि पक्की दीवारें लेकिन कच्ची छत वाले मकानों को 'आधे कच्चे मकान' के रूप में वर्गीकृत किया जा सके और उक्त योजना का लाभ ऐसे मकानों तक बढ़ाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आज तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ऐसे मकानों के लिए कोई विशेष सहायता योजना बनाने का विचार रखती है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी-2011) के अनुसार सभी आवासहीन और कच्ची दीवार और कच्ची छत (कच्चे मकान) वाले शून्य, एक या दो कमरों में रहने वाले परिवार शामिल हैं।

कच्चे मकान की एसईसीसी परिभाषा के अनुसार, कच्चा मकान वह मकान है, जिसमें व्यक्तियों के रहने वाले कमरे की दीवार की प्रमुख सामग्री घास, छप्पर, बांस, प्लास्टिक, पॉलिथीन, मिट्टी, बिना पकी ईंट, लकड़ी, मोर्टार रहित पत्थर होता है और इस कमरे की छत की प्रमुख सामग्री घास, छप्पर, बांस, लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक, पॉलिथीन, हस्तनिर्मित टाइलें होती हैं।

हालांकि, भारत सरकार के पूर्व अपर सचिव स्वर्गीय श्री नागेश सिंह की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसे पीएमएवाई-जी के तहत कच्चे मकान की परिभाषा पर पुनर्विचार करने के लिए असम, त्रिपुरा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों के प्रस्तावों पर अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया था। विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार, असम और त्रिपुरा राज्य के लिए यह निर्णय लिया गया कि "सीजीआई शीट की छत और कच्ची दीवार वाले मकान को कच्चा मकान माना जा सकता है, जबकि नमी से खराब होने वाली सामग्री जैसे 'इक्रा' पैनल, बिना पकी ईंटें आदि से बनी दीवार, जिसकी बाहरी सतह सीमेंट रेत प्लास्टर से सुरक्षित है, उसे पक्की दीवार माना जा सकता है।"

(घ): वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****